दिनांक 01.07.2024

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता श्री यज्ञदेव भट्ट उपस्थित। अभियुक्त मय विद्वान चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसलर श्री कमल प्रसाद बमराड़ा उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि हस्तगत वाद आज परिवादी की प्रतिपरीक्षा हेतु नियत है। अभियुक्त द्वारा अन्य जमानती प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान करने की प्रार्थना की गयी। सुना। न्यायहित में परिवादी को पंन्द्रह दिन का समय प्रदान किया जाता है। पक्षकारगण के द्वारा मामले में न्यायालय से बाहर वाद के निपटारा किये जाने की संभावना दर्शित की है। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के सी0एल0 न0 04/यू0एच0सी0/एडमिन.ए/2024 दिनांकित मार्च 07, 2024 के आलोक में मामले में वैकल्पिक माध्यम से वाद के निस्तारण होने की संभावना के दृष्टिगत पत्रावली सुलह समझौता वार्ता हेतु लंच बाद पेश हो।

(प्रतीक मथेला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पौडी
पौड़ी गढ़वाल।

लंच बाद

पत्रावली पुनः पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता श्री यज्ञदेव भट्ट उपस्थित। अभियुक्त मय विद्वान चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसलर श्री कमल प्रसाद बमराड़ा उपस्थित। पत्रावली सुलह समझौता वार्ता हेतु नियत है। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के सी0एल0 न0 04/यू0एच0सी0/एडमिन.ए/2024 दिनांकित मार्च 07, 2024 के आलोक में पक्षकारगण को मध्यस्थता एवं सुलह समझौता के आधार पर न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे हेतु वैकल्पिक माध्यम के बारे में बताया गया। पक्षकारगण के द्वारा आपसी सुलह समझौता वार्ता कर मामले का निस्तारण करने का प्रयास करने का कथन किया गया। अतः मामले को मध्यस्थता केन्द्र में निर्दिष्ट करने की प्रार्थना करी गयी।

हस्तगत मामले में सुलह समझौता होने की संभावना दर्शित होती है तथा पक्षकारगण के द्वारा भी मामले को मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारित करने हेतु, प्रकरण को मध्यस्थता केन्द्र भेजे जाने की प्रार्थना करी गयी है। अतः हस्तगत मामले को माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के सी0एल0 न0 04/यू0एच0सी0/एडमिन.ए/2024 दिनांकित मार्च 07, 2024 एवं माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायदृष्टांत Dayawati v. Yogesh Kumar Gosain 2017 SCC OnLine Del 11032 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में प्रकरण के तथ्यों, एवं मामले में मध्यस्थता की कार्यवाही होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, हस्तगत वाद को मध्यस्थता की कार्यवाही हेतु, मध्यस्थता केन्द्र पौड़ी गढ़वाल को निर्दिष्ट किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

हस्तगत मामले को मध्यस्थता हेतु मध्यस्थता केन्द्र पौड़ी गढ़वाल को निर्दिष्ट किया जाता है। पक्षकारगण दिनांक 08.07.2024 को प्रातः 11:00 बजे मध्यस्थता केन्द्र पौड़ी गढ़वाल में उपस्थित हो। मध्यस्थता केन्द्र पौड़ी गढ़वाल द्वारा नियुक्त मध्यस्थ, नियमानुसार मध्यस्थता की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

विहित प्रारूप के साथ प्रपत्रों की प्रति संलग्न कर, मध्यस्थता केन्द्र पौड़ी गढ़वाल को अविलम्ब प्रेषित की जाये।

पत्रावली वास्ते मध्यस्थता केन्द्र पौड़ी गढ़वाल की आख्या/अग्रिम आदेश दिनांक 01.08.2024 को पेश हो। कार्यालय लिपिक आवश्यक अनुपालन करें।

(प्रतीक मथेला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पौडी
पौड़ी गढ़वाल।